(1)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग के द्वारा 62.00 हे0 नेट अवनत वन भूमि चित्रकूट वन प्रभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गयी है। चित्रकूट वन प्रभाग के द्वारा कोटाकण्डैला, ददरी एवं काजीपुर बदौसा वन ब्लॉक में सकल 90.1528 हे0 अवनत वन भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें GIS-DSS analysis के अनुसार 52.14 हे0 नेट अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ उक्त तीनों वन ब्लाकों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। ददरी एवं काजीपुर बदौसा वन ब्लाक में अतिरिक्त बचे 10.00 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए अवनत वन भूमि उपलब्ध है, जो लैण्टाना की झाड़ियों से आच्छादित है। उक्त भूमि पर लैण्टाना की झाड़ियों के कटान–फुकान के बाद स्थल को साफ करके वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा। अतः इस प्रकार 62.00 हे0 शुद्ध अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चित्रकूट वन प्रभाग में उपलब्ध है।

(आर0के0दीक्षित)
प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट वन प्रभाग चित्रकूट